रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082026-275809
CG-DL-E-26082026-275809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]	**नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948**
No. 234]	**NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948**

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

विषय: राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम - के संबंध में।

फा. सं. 12-11/2026-जीओवी-1.— सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता' (एएनएसएफ स्कीम) स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है। यह स्कीम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय खिलाड़ियों और टीमों की तैयारी, प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता प्रदान करने की प्रमुख तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

2. एएनएसएफ एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से देशभर से चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, तैयारी और सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए स्वयं के संसाधन जुटाएं तथा इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता अनुपूरक प्रकृति की होगी।

3. स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. भारत और विदेशों में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों की तैयारी, प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता प्रदान करना।

ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के माध्यम से खिलाड़ियों को व्यापक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना, जिसमें प्रशिक्षण, प्रतियोगिता एक्सपोजर, खेल विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य विशिष्ट सहायता शामिल है।

iii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की व्यावसायिक दक्षता और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा उपयुक्त जवाबदेही के साथ वित्तीय सहायता का सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध प्रवाह सुनिश्चित करना।

iv. भारत में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके।

v. ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित बड़े बहु-खेल आयोजनों, जब भी ऐसे आयोजनों का दायित्व देश को सौंपा जाए, की मेजबानी में सहायता करना ।

vi. राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन में राज्यों, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता प्रदान करना, जो घरेलू प्रतियोगिता तथा प्रतिभा पहचान की रूपरेखा के प्रमुख घटक हैं।

vii. जमीनी स्तर पर खेलों के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, जिसमें कोचों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक कर्मियों का विकास शामिल है, ताकि विभिन्न खेल विधाओं में दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त प्रतिभा-संसाधन सुनिश्चित किया जा सके।

viii. देशज खेलों को बढ़ावा देना तथा उनके वैश्विक विस्तार के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसमें विश्वभर के अग्रणी विश्वविद्यालयों और खेल अकादमियों के साथ सहयोग शामिल है।

ix. अंतरराष्ट्रीय परिसंघों और विदेशों में समकक्ष राष्ट्रीय परिसंघों के साथ अपने संबंधों तथा प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता प्रदान करना; अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारत में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना; तथा वैश्विक खेल समुदाय में भारत की सद्भावना और पहचान में वृद्धि करना।

4. इस स्कीम के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर आयु वर्गों में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन हेतु सहायता, जिसमें आवास एवं भोजन, एफओपी/उपकरण किराए पर लेना, सुगम्यता सुनिश्चित करने, सुगम परिवहन, तकनीकी अधिकारियों के भुगतान तथा पुरस्कार राशि संबंधी व्यय शामिल हैं; राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल उपकरण, टाइमिंग, स्कोरिंग और परिणाम (टीएसआर) सेवाओं, तकनीकी अधिकारियों के पारिश्रमिक तथा तकनीकी संचालन के लिए सहायता; जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए निधियों का आवंटन; भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए सहायता, जिसमें आवास, भोजन एवं परिवहन, खेल मैदानों का किराया, उपभोज्य उपकरणों की लागत, प्रमाण-पत्र, पदक एवं पुरस्कार, पुरस्कार राशि, तकनीकी अधिकारियों/रेफरी/ अंपायर/ज्यूरी के पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय, मेजबानी/प्रतियोगिता स्वीकृति शुल्क, तकनीकी अधिकारियों/ रेफरी/अंपायर/ज्यूरी के लिए वर्दी, डोप परीक्षण तथा अन्य वैधानिक व्यय, आयोजन बीमा, अंतरराष्ट्रीय आयोजन के संचालन के दौरान विद्युत पर होने वाला व्यय, सुगम्यता सुनिश्चित करने तथा सुगम परिवहन संबंधी व्यय शामिल हैं; उच्च प्रदर्शन निदेशकों, विदेशी कोचों,

विदेशी विशेषज्ञों, राष्ट्रीय मुख्य कोच तथा अन्य कोचों की नियुक्ति के लिए सहायता; राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को खेल चिकित्सा विशेषज्ञों, फिजियोथेरेपिस्टों, मनोवैज्ञानिकों आदि जैसे सहायक कर्मियों की नियुक्ति के लिए सहायता; राष्ट्रीय शिविरों/अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए सहायता; ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्रों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सहायता; निवास स्थान से राष्ट्रीय शिविर/विदेशी प्रशिक्षण/प्रतियोगिता स्थल तक तथा वापस आने के लिए यात्रा हेतु सहायता; राष्ट्रीय शिविरों के लिए आवास एवं भोजन आदि तथा शिविर से इतर दिनों में लक्षित समूह के खिलाड़ियों के लिए आहार भत्ते हेतु सहायता; शिविरों/चैंपियनशिपों के लिए खेल मैदान के उपयोग संबंधी शुल्क हेतु सहायता; शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल किट हेतु सहायता; शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा बीमा हेतु सहायता; विदेशी प्रशिक्षण/प्रतियोगिता एक्सपोजर हेतु हवाई यात्रा के लिए सहायता; विदेशों में आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए रेफरी/जज/अंपायर/तकनीकी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु सहायता; विदेश में आवास एवं भोजन तथा जेब खर्च भत्ते के भुगतान हेतु सहायता; बहु-खेल आयोजनों के लिए औपचारिक पोशाक एवं किट संबंधी व्यय हेतु सहायता; परिवहन, उपकरण किराए पर लेने, अवसंरचना तथा उपभोज्य सामग्रियों के लिए सहायता; खेल वैज्ञानिकों, कोचों और सहयोगी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता; डोप नियंत्रण पर होने वाला व्यय; उपकरणों की खरीद; देशज खेलों के वैश्विक प्रसार के लिए सहायता; सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायता; प्रशासनिक जनशक्ति की नियुक्ति के लिए सहायता; चिकित्सा मूल्यांकन और खेल विज्ञान संबंधी प्रोटोकॉल के लिए सहायता; तथा विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की नियुक्ति, ताकि योजना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ समन्वय तथा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का प्रबंधन किया जा सके, जिनका खेल राष्ट्रों के समुदाय में देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है।

5. प्रशिक्षण, कोचिंग, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी, कोचों एवं सहायक कर्मियों की नियुक्ति आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के प्रस्तावों पर सचिव (खेल) की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) की बैठकों में विचार किया जाता है।

6. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) इस स्कीम को कार्यान्वित करने तथा इसके समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को उनसे अवगत कराया जाएगा।

7. वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹7,386.74 करोड़ है, जिसमें राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए ₹2,500 करोड़ शामिल हैं। वर्ष-वार परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वर्ष	भारतीय खिलाड़ियों और टीमों की तैयारी/प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर के लिए	मेगा स्पर्धाओं सहित अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं की मेजबानी के लिए	कुल अनुमानित लागत
1	2026-27	641.00	200.00	841.00
2	2027-28	731.25	250.00	981.25
3	2028-29	844.85	250.00	1,094.85
4	2029-30	963.96	2,100.00	3,063.96*
5	2030-31	1,055.68	350.00	1,405.68
	कुल	**4,236.74**	**3,150.00****	**7,386.74**

* वर्ष 2029-30 और 2030-31 के लिए बढ़ी हुई अनुमानित लागत राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के कारण है।

** इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए ₹2,500 करोड़ शामिल हैं।

8. उपर्युक्त परिव्यय के साथ, स्कीम को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

हरि रंजन राव, सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

SUBJECT: ASSISTANCE TO NATIONAL SPORTS FEDERATIONS SCHEME – REG.

F. No. 12-11/2026-Gov-1.— The Government approved the continuation of the Scheme of 'Assistance to National Sports Federations' (ANSF Scheme) for the period 2026-27 to 2030-31, as the principal mechanism for supporting the preparation, training and participation of Indian sportspersons and teams for achieving excellence in international competitions.

2. ANSF is a Central Sector Scheme which provides assistance for training, preparation and participation of selected sportspersons, from across the country, for achieving excellence in international events. National Sports Federations (NSFs) are required to raise their own resources to finance their operations, and the financial support available under the Scheme is supplemental in nature.

3. The major objectives of the Scheme are:

i. To support preparation, training and participation of Indian sportspersons and teams in international sporting events, in India and abroad, including the Olympic Games, Paralympic Games, Asian Games and Commonwealth Games.

ii. To ensure provision of comprehensive athlete support through NSFs, including training, competition exposure, sports science, and other specialised support required for achieving excellence at the international level.

iii. To strengthen professional competence and financial management of NSFs, and to ensure streamlined, transparent and timely flow of financial assistance with appropriate accountability.

iv. To provide financial assistance to NSFs for hosting international sporting events in India, so as to strengthen national capacity for conduct of global sports events.

v. To support hosting of mega multi-sport events, including the Olympic Games, Asian Games and Commonwealth Games, as and when awarded to the country.

vi. To assist States, IOA and NSFs in conduct of National Games and National Championships, as core elements of the domestic competition and talent identification framework.

vii. To promote grassroots development and capacity building, including development of coaches, technical officials and support personnel, to ensure sustainable bench strength across sports disciplines.

viii. To promote indigenous sports by providing financial support to NSFs for their global expansion collaborations with leading universities and sports academies worldwide.

ix. To support NSFs in strengthening their relationships and standing with International Federations and counterpart national federations abroad; offering training opportunities to international athletes in India; and enhancing India's goodwill and recognition within the global sporting community.

4. Main components of the Scheme are: Assistance for conduct of National Championships both for Men and Women in Senior, Junior and Sub Junior age categories for meeting expenses towards Boarding & Lodging, Hiring of FOP/Equipment, Accessibility Audit, Accessible Transportation, Payment of Technical Officials and Prize Money; Assistance for National Games towards sports equipment, Timing, Scoring and Result (TSR) services, remuneration to Technical officials and technical conduct; Allocation of funds for grassroot development; Assistance for hosting of international tournaments in India for meeting expenses towards Boarding, lodging & transportation, Rent of playfields, Cost of consumable equipment, Certificates, medals and awards, Prize money, Payment of remuneration and travel to Technical Officials/Referees/ Umpire/Jury, Hosting / competition sanction fee, Uniform for technical officials/ referees/ Umpire/Jury, Dope testing and any other statutory expenses, Event insurance, Expense on electricity incurred during the conduct of the international event, Accessibility Audit and Accessible Transportation; Assistance for engagement of High Performance Directors, Foreign Coaches, Foreign Experts, National Chief Coach, other Coaches; Assistance to NSFs for engagement of support personnel such as sports medicine doctors, physiotherapists, Psychologist etc; Assistance for National Camps/Training in Academies; Training of the Elite athletes at the Olympic Training Centres; Assistance towards Travel from place of stay to national camp/foreign training/ competition & back; Assistance towards boarding & lodging etc. for national camps and non-camp days dietary allowance for focus group athletes; Assistance towards Field of play charges for camps / Championships; Assistance towards Sports kit for campers; Assistance towards Medical Insurance for campers; Assistance towards air travel for foreign training / competition exposures; Assistance towards deputation of referees/ judges/ umpires/Technical officials for competitions abroad; Assistance towards boarding & lodging abroad and payment of out of pocket allowances; Assistance towards Ceremonial Dress and Kit Charges for multi-sports events; Assistance towards transportation, hiring of equipment, infrastructure, consumables; Assistance towards training of Sports Scientists, coaches and support personnel; Expenditure on dope control; Purchase of equipment; Assistance for indigenous sports for global outreach; Assistance for Cultural Exchange and International Cooperation; Support for engagement of administrative manpower; Assistance towards Medical Assessment and sports science protocols; Engagement of Project Management Units (PMUs) in the Department for managing specific issues relating to planning, coordination with national and international stakeholders, having bearing on international standing of the country in the comity of sporting nations.

5. Proposals of NSFs for training, coaching, participation in international events, hosting of international sports events, engagement of coaches and support personnel etc are considered in meetings of the Annual Calendar of Training and Competitions (ACTC), chaired by Secretary (Sports).

6. The Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports and the Sports Authority of India (SAI) shall be responsible for operationalising the Scheme and for its overall implementation and monitoring. Guidelines for implementation of the Scheme of Assistance to NSFs will be issued by the Ministry and communicated to NSFs and other concerned stakeholders.

7. The approved outlay is ₹7,386.74 crore, including ₹2,500 crore for hosting of Commonwealth Games 2030, for the period 2026-27 to 2030-31. Year-wise outlay is as under

(₹ in crore)

Sl. No.	Year	Towards preparation/training and competitive exposure of Indian sportspersons and teams	Towards hosting of international events including mega events	Total Cost Estimates
1	2026-27	641.00	200.00	841.00
2	2027-28	731.25	250.00	981.25
3	2028-29	844.85	250.00	1,094.85
4	2029-30	963.96	2,100.00	3,063.96*
5	2030-31	1,055.68	350.00	1,405.68
	Total	**4,236.74**	**3,150.00****	**7,386.74**

*Increased cost estimates for 2029-30 and 2030-31 have been projected on account of the hosting of the Commonwealth Games 2030.

**Includes ₹2,500 crore for hosting of the Commonwealth Games 2030.

8. The Scheme, with the above outlay, is hereby notified for implementation with immediate effect.

HARI RANJAN RAO, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.08.26 21:31:19 +05'30'